



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062025-263726
CG-DL-E-11062025-263726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2482]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947

No. 2482]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

का.आ. 2542(अ).—जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संबद्ध कार्यालय निदेशक (मुद्रण), मुद्रण निदेशालय, नई दिल्ली को नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया है और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार, मुद्रण निदेशालय में कतिपय समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में समूह 'ग' में उन्नत) के संबंध में उन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

और जबकि, निदेशक (मुद्रण), मुद्रण निदेशालय का पद तत्कालीन पदधारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 15 फरवरी, 2021 को रिक्त हो गया था और तब से यह पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित है;

और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. एफ-22017/01/2019-प्रशा०-I दिनांक 28/04/2025 के द्वारा निदेशक (मुद्रण) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है;

और जबकि, निदेशक (मुद्रण), मुद्रण निदेशालय के पद पर नियमित पदधारी की अनुपस्थिति में मुद्रण निदेशालय में कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु निदेशक (मुद्रण) द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अब तक किए जा रहे कार्यों के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था की जानी अत्यावश्यक है।

अतः अब, राष्ट्रपति, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को मुद्रण निदेशालय में निदेशक (मुद्रण) के पद को नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुद्रण निदेशालय में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में निदेशक (मुद्रण) को प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/02/2014-पी.एस.पी.-I]

बिनय कुमार मलंगिया, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

S.O. 2542(E).— Whereas, the Director (Printing), Directorate of Printing, New Delhi, an attached Office of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Directorate of Printing, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Director (Printing), Directorate of Printing had fallen vacant on the 15th February, 2021, consequent upon the completion of deputation period of then incumbent and the post is held on additional charge since then;

And whereas, Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Director (Printing) vide Ministry of Housing and Urban Affairs' Office Order No. F-22017/01/2019-Admin-I dated 28/04/2025;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Director (Printing) for smooth functioning in the Directorate of Printing in the absence of a regular incumbent to the post of Director (Printing), Directorate of Printing.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President is pleased to authorize Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Director (Printing) in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Directorate of Printing till a regular appointment is made to the post of Director (Printing) in Directorate of Printing or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/02/2014-PSP-I]

BINAY KUMAR MALANGIA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

का.आ. 2543(अ).—जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय प्रकाशन विभाग, दिल्ली के प्रकाशन नियंत्रक को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार प्रकाशन विभाग में कतिपय समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

और जबकि, प्रकाशन विभाग, दिल्ली में प्रकाशन नियंत्रक का पद तत्कालीन पदधारी की सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 1 मार्च, 2013 से रिक्त है और तब से यह पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित है;

और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. एफ-22028/02/2014-प्रशा०-I दिनांक 28/04/2025 के द्वारा प्रकाशन नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

और जबकि, प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग के पद पर नियमित पदधारी की अनुपस्थिति में प्रकाशन विभाग में कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रकाशन नियंत्रक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अब तक किए जा रहे कार्यों के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था की जानी अत्यावश्यक है।

अतः अब, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद को नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रकाशन विभाग में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में प्रकाशन नियंत्रक को प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/02/2014-पी.एस.पी.-I]

बिनय कुमार मलंगिया, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

S.O. 2543(E).—Whereas, the Controller of Publications, Department of Publication, Delhi, a Subordinate Office of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Department of Publication, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Controller of Publications in the Department of Publication, Delhi had fallen vacant on the 1st March, 2013, consequent upon the superannuation of the then incumbent and the post is held on additional charge since then;

And whereas, Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Controller of Publications vide Ministry of Housing and Urban Affairs' Office Order No. F-22017/01/2019-Admin-I dated 28/04/2025;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Controller of Publications for smooth functioning in the Department of Publication in the absence of a regular incumbent to the post of Controller of Publications in the Department of Publication.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President is pleased to authorize Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise the powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Controller of Publications in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Department of Publication till a regular appointment is made to the post of Controller of Publications, in the Department of Publication or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/02/2014-PSP-I]

BINAY KUMAR MALANGIA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

का.आ. 2544(अ).— जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता के लेखन सामग्री नियंत्रक को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में कतिपय समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

और जबकि, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता में लेखन सामग्री नियंत्रक का पद तत्कालीन पदधारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से रिक्त है और तब से यह पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित है;

और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. एफ-22017/01/2019-प्रशा०-I दिनांक 28/04/2025 के द्वारा लेखन सामग्री, नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

और जबकि, लेखन सामग्री नियंत्रक, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय के पद पर नियमित पदधारी की अनुपस्थिति में भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु लेखन सामग्री नियंत्रक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अब तक किए जा रहे कार्यों के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था की जानी अत्यावश्यक है।

अतः अब, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में निदेशक (पी.एस.पी.) श्री अजय कुमार सिन्हा को भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक के पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में लेखन सामग्री नियंत्रक को प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/02/2014-पी.एस.पी.-I]

बिनय कुमार मलंगिया, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

S.O. 2544(E).—Whereas, the Controller of Stationery, Government of India Stationery Office, Kolkata, a Subordinate Office of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Government of India Stationery Office, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office, Kolkata had fallen vacant on the 1st April 2018, consequent upon the completion of deputation period of the then incumbent and the post is held on additional charge since then.

And whereas, Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Controller of Stationery vide Ministry of Housing and Urban Affairs' Office Order No. F-22017/01/2019-Admin-I dated 28/04/2025.

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Controller of Stationery for smooth functioning in the Government of India Stationery Office in the absence of a regular incumbent to the post of Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President is pleased to authorize Shri Ajay Kumar Sinha, Director (PSP) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Controller of Stationery in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi-Tasking Staff) in the Government of India Stationery Office till a regular appointment is made to the post of Controller of Stationery, in the Government of India Stationery Office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/02/2014-PSP-I]

BINAY KUMAR MALANGIA, Under Secy.